

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर**

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 175/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. संजय कुमार पुत्र श्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
2. सोनु कुमार पुत्र श्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।

-वादीगण

बनाम

1. जयश्री पुत्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
2. राधा पुत्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
3. संतोष पुत्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
4. सरोज पुत्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
5. हंशा पुत्री ब्रहमदत जाति ब्राहमण निवासी धान्धुसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
6. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल कुमार सिहाग वकील-वादी

श्री श्रवण कुमार महला वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 16.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धान्धुसर के खाता संख्या 210/198 के खसरा नम्बर 47 की 6.7410 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि के वादीगण को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/2, 1/2 हिस्सा के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.5.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
सह उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

